



कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल, रायपुर

मकान नम्बर – 40, आनन्द नगर, रायपुर (छ.ग.) 492 006

फोन:-0771-2444591 ईमेल:- cspcraipur@gmail.com वेबसाईट:- www.cspc.in

क्रमांक / सी.जी./ फार्मा/ 2023 / ३५७

रायपुर, दिनांक :- ०९/१०/२०२३

—: सूचना :—

विषय :- डिप्लोमा इन फार्मसी के पश्चात् पार्ट –3 (फार्मासिस्ट प्रेक्टिकल ट्रेनिंग कान्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट) विधिवत् जारी किये जाने संबंधी।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डिप्लोमा इन फार्मसी छात्रों के पार्ट – । तथा पार्ट– ॥ परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् पार्ट – ॥। अर्थात् प्रेक्टिकल ट्रेनिंग कान्ट्रैक्ट फार्म के एक से पाँच तक सभी सेक्शन विधिवत् सही–सही भरे जाने चाहिए । सेक्शन – 1 में प्रेक्टिकल कान्ट्रैक्ट फार्म जारी करने वाले संस्था प्रमुख/प्राचार्य का हस्ताक्षर तथा मुहर व जारी किये जाने का दिनांक तथा सेक्शन 5 में प्रेक्टिकल ट्रेनिंग पूर्ण होने के पश्चात् संस्था प्रमुख/प्राचार्य का हस्ताक्षर, संस्था का मुहर तथा दिनांक होना आवश्यक है । सेक्शन – 1 से सेक्शन – 5 की सत्यता प्राचार्य/संस्था प्रमुख सुनिश्चित करें ।

प्रेक्टिकल ट्रेनिंग कान्ट्रैक्ट फार्म के सेक्शन 2 से 4 तक में भरे जाने वाली सभी जानकारी एवम् तिथि विधिवत् भरा जाना आवश्यक है । प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सहीं –सही दिनांक तथा प्रशिक्षण की अवधि 3 माह तथा न्यूनतम् 500 घण्टे का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । प्रशिक्षण प्रदाता प्रशिक्षण प्रारम्भ करने तथा प्रशिक्षण समाप्त करने वाले सेक्शन में प्रशिक्षक का हस्ताक्षर व मुहर तथा निर्दिष्ट स्थान पर दिनांक का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना आवश्यक है ।

सूचनार्थ ।

छु । ०९। २०२३

(डॉ शेखर वर्मा)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल

रायपुर (छ.ग.)